राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2036/2005/गंगानगर

गुरमीत सिंह पुत्र आत्मा सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 7 जी.वी., तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

....अपीलार्थी

बनाम

1.जंगीर सिंह पुत्र आत्मा सिंह

2.सुखविन्द्र कौर पुत्री जंगीर सिंह

3.मलकीयत कौर पुत्री जंगीरसिंह

4.जसविन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह

जाति कम्बोज सिख, निवासीगण 7 जी.वी., तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

5.परमजीत कौर पुत्री जंगीरसिंह)

6.वलविन्द्र कौर पुत्री जंगीरसिंह)

7.कुलवीर कौर पुत्री जंगीरसिंह)

नाबालिग द्वारा पिता जंगीर सिंह प्राकृतिक वली, निवासी जी.वी. तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

8.मोहन सिंह पुत्र आत्मा सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 7 जी.वी., तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

9.अमरीक सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 7 जी.वी., तहसील विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।

10.राजस्थान सरकार।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः
श्री प्रदीप नेहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से।

––

निर्णय

दिनांक 13–09–18

द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 70/2004 में दिनांक 19–04–05 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी नं0 1, 8 एवं 9 सगे भाई है। उनकी एक बहन करतार कौर का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वारिस प्रतिवादी/प्रत्यर्थी अमरीक सिंह है। वादी/अपीलार्थी के पिता आत्मा सिंह के नाम चक 7 जी.वी. के मु0न0 16,15,19,21,24,40 व 50 में खातेदारी भूमि थी । श्री आत्मा सिंह का निधन हो चुका है, इसलिए उनके विधिक वारिसान विरासतन हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। मु0 नं0 24, 40 व 50 में प्राप्त भूमि का विरासतन इन्तकाल श्री आत्मा सिंह की वसीयत के अनुसार भाईयों नाम हो चुका है किन्तु मु0 नं0 16 की 3.01 बीधा, मु0नं0 15 की 4.18 बीघा, मु0 नं0 19 की 1.02 बीघा व मु0 नं0 21 की 4. 05 बीघा, इस प्रकार कुल 13.06 बीघा भूमि का विरासतन इन्तकाल इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि यह भूमि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज है। अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त 13.06 बीघा भूमि का प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के नाम जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में किया गया इन्द्राज निरस्त किया जाकर वसीयतनामा दिनांक 03–10–90 के अनुसार विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जाए। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 ने जवाबदावा पेश किया था, उसके साथ एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 4 सीपीसी के तहत पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने दिनांक 18–08–1993 को वादी/अपीलार्थी का वाद चलने योग्य नहीं हाने के कारण खाारिज कर दिया। उस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 31–08–95 के द्वारा खारिज कर दिया। तत्पश्चात् वादी/अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की, जिसे निर्णय दिनांक 09–09–99 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देश दिए गए कि वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावें। विचारण न्यायालय

ने जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम किए एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर वादी का वाद गुणावगुण पर खारिज कर दिया। उस निर्णय के विरूद्ध पेश की गई अपील को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 19–04–05 के निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया। अतः यह द्वितीय अपील वादी/अपीलार्थी द्वारा पेश की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता वादी/अपीलार्थी की दलील है कि आक्षेपित दोनों निर्णय तथ्यों से परे जाकर एवं विधि विरूद्ध से पारित किए गए है। योग्य विचारण न्यायालय ने अनुतोष को मिलाकर कुल 5 विवाद्यक कायम किए थे तथा विवाद्यक सं0 1 से 4 की विवेचना एक साथ एवं कुल 8 या 10 पंक्तियों में कर के निर्णय पारित कर दिया जो कि विधि अनुरूप नहीं है। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद मुख्यतः इस आधार पर खारिज किया कि प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में एक तमलीकनामा मृतक आत्मा सिंह ने निष्पादित किया था जबकि असल तमलीकनामा प्रतिवादी सं0 1 ने विचारण न्यायालय में पेश ही नहीं किया था। इसलिए ऐसे दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 का अभिवाक् साबित नहीं माना जा सकता, जो कि अभिलेख का भाग नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 2 इस आशय की कायम की थी कि क्या विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण करतार सिंह (मृतक) व अमरीक सिंह वसीयत दिनांक 03–10–90 के परिप्रेक्ष्य में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस तनकी के कायम हो जाने के बाद वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं होने को आधार मानकर वादी का वाद खारिज करना भी न्यायसंगत नहीं था। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी ने वसीयत की फोटो प्रति पेश की थी तथा बाद में प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश कर दी थी। इसलिए वसीयत पेश नहीं होने के आधार पर वादी का वाद खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। आत्मा सिंह ने अपने जीवनकाल में ही प्रत्यर्थी सं0 1 के पक्ष में स्वीकृत इन्तकाल को अपास्त करवाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी, जिसका उल्लेख वसीयतनामा में भी है। प्रश्नगत वसीयत आत्मा सिंह की अंतिम वसीयत थी तथा उक्त तथ्यात्मक पहलुओं की अनदेखी करते हुए पारित किए गए दोनों निर्णय काबिल अपास्त है। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी बखूबी प्रकट हो गया था कि प्रत्यर्थी जागीर सिंह ने आत्मा सिंह के जीवनकाल में ही बंदोबस्त विभाग के समक्ष गलत बयानी कर एवं फर्जी हलफनामा दिनांक 24–07–82 पेश कर 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि का इन्तकाल स्वंय के एवं स्वंय की

पत्नि के नाम करवाकर स्पष्टतः गलत कार्यवाही की थी, क्योंकि ऐसे हलफनामा के आधार पर एक खातेदार की भूमि अंतरित नहीं हो सकती है। बंदोबस्त विभाग को भी इस आशय की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं0 1 को आदेश दिया था कि वह हलफनामा दिनांक 24–07–82 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करें, जिस पर अवसर लेने के पश्चात् प्रत्यर्थीगण ने हलफनामा उपलब्ध नहीं होना बताया था। इससे स्पष्ट है कि फर्जी हलफनामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी सं0 1 ने इन्द्राज करवा लिया, जिसका विधि में कोई महत्व नहीं है। इस सब के बावजूद योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत तरीके से अपील को खारिज कर दिया। अतः निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर दोनों आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जावें। योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6 विभाग) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29–06–94 की प्रतिलिपि पेश कर यह भी निवेदन किया कि पिता की स्वअर्जित सम्पति के संबंध में पिता के जीवनकाल में किसी प्रकार की रिलिज डीड जारी नहीं की जा सकती है जबकि पैतृक सम्पति के संबंध में ऐसी रिलिज डीड पिता के जीवनकाल में जारी हो सकती है।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 ने उक्त दलीलों का विरोध किया। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते हुए निर्णय पारित किए है, जिनमें विधिक त्रुटि नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29–06–94 का अवलोकन किया गया।

7. विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह कहता है कि वादी को अपना वाद स्वंय के पावों पर खड़ा रहकर साबित करना पड़ेगा तथा प्रतिवादी की कमियों का वह फायदा नहीं ले सकता है। वाद एकपक्षीय रूप से निर्णित करने पर भी न्यायालय को यह देखना पड़ेगा कि वादी ने जिन अभिवचनों एवं दस्तावेजों को आधार बनाकर वाद पेश किया है, वह विधि अनुसार साबित हुए है अथवा नहीं ? मौजूदा केस में वादी का वाद वसीयतनामा पर आधारित है किन्तु वादी ने अज्ञात कारणों से विचारण के स्तर पर वसीयतनामा को प्रस्तुत नही किया इसलिए जिस आधार पर वादी न्यायालय के समक्ष आया था वह आज तक मूल रूप से अभिलेख का भाग नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने तमलीकनामा के आधार पर सम्पति का नामान्तरकरण स्वंय के

नाम तस्दीक होना बतलाया है। हांलाकि तमलीकनामा भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रमाणित नहीं करवाया गया किन्तु प्रतिवादीगण की यह चूक वादी को तभी मदद कर सकती थी जब वह वसीयतनामा पेश कर देता। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा बचाव में तमलीकनामा को साबित नहीं करने का तथ्य किसी भी रूप से वादी को सहायता प्रदान नहीं करता है। इसलिए मात्र राज्य सरकार के उक्त परिपत्र की रोशनी में वादी को ऐसी वसीयत के आधार पर विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करना कतई न्यायसंगत नहीं होगा, जिस वसीयत को वादी अपने पक्ष में होना बताते हुए भी न्यायालय के समक्ष पेश करने में लापरवाही एवं गुरेज करता रहा। इन परिस्थितियों में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की थी।

8. यह सही है कि विचारण न्यायालय ने चार तनकियात एक साथ निर्णित कर दी जबकि आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सभी तनकियात का निर्णय पृथक–पृथक किया जाना वांछित एवं विधिक होता है। पक्षकारान में मुख्य विवाद आत्मा सिंह द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को लेकर रहा है। वादी ने जब वह वसीयत मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की, तब निश्चित रूप से वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य ही रह जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण से योग्य विचारण न्यायालय ने चारों तनकियात को एक साथ निर्णित कर दिया फिर भी विचारण न्यायालय के संक्षिप्त निर्णय से यह अवश्य जाहिर होता है कि उसने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों, उनके आधार पर कायम की गई तनकियात, दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए कारणसहित अपने निष्कर्ष निकाले है, जिससे इंगित होता है कि विचारण न्यायालय ने अपने मस्तिष्क का सही रूप से इस्तेमाल किया तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं करने से प्रकरण के किसी तथ्यात्मक एवं विधिक पहलू की अनदेखी भी नहीं की गई है। तनकीवार निर्णय पारित नहीं करने से वादी के हित किस प्रकार प्रतिकूलतः व सारतः प्रभावित हुए, इसका भी कोई उल्लेख न तो मीमों ऑफ अपील में है और ना ही बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी बतलाने में समर्थ रहे है।

9. यह भी सही है कि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपील में बिन्दू कायम नहीं किए तथा तनकीवार निर्णय भी

पारित नहीं किया किन्तु योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद को भंलीभांति अपने निर्णय में विवेचित किया तथा कारणसहित अपने निष्कर्ष निकाले है। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने योग्य विचारण न्यायालय के निष्कर्षो एवं कारणों की पुष्टि की है तथा उनके निर्णय से भी मस्तिष्क का इस्तेमाल किया जाना पूर्ण रूप से इंगित होता है। इसलिए योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में भी किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। इस संबंध में 2006 (4) SCC 224 'G. AmalorPavam & ors Vs R.C. Diocese of Madurai & ors' में प्रतिपादित सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

10. उक्त विवेचन अनुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने लायक लेशमात्र भी गुंजाईश नहीं है। प्रकरण में किसी प्रकार का विधिक बिन्दु, सारवान विधिक बिन्दू की तो बात ही दूर है, निहित नहीं होने से द्वितीय अपील काबिले खारिज है।

11. लिहाजा द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य